



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 238

दिनांक/Date : ... 22/9/2021

संवाद- 158

विषय :- जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदों पर जारी औपबन्धिक चयन सूची के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आयोग की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या-235 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर जनजाति कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक एल0टी0 हिन्दी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, गृहविज्ञान, कला, व्यायाम, (पद कोड-107) विषय की अभिलेख सत्यापन हेतु तृतीय औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

सूच्य है कि आयोग के द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा उनका माध्यमिक शिक्षा विभाग में स0अ0एल0टी0 की विज्ञप्ति के सापेक्ष विषय-विशेष में अभ्यर्थन निरस्तीकरण व अन्य कारणों से जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची में उनसे कम प्राप्तांक अभ्यर्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में आने के कारण आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गये हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अन्य समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम पर यदि कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो वे साक्ष्य सहित प्रत्येक दशा में इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर आयोग कार्यालय को दे दें, उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आयोग की ओर से,


(संतोष बडोनी)
सचिव



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।
वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com
फोन न० 0135-2669658 फैक्स न० 0135-2672902

पत्रांक:-परीक्षा/

239

/2021-22 दिनांक: 22 सितम्बर, 2021

अधिसूचना/विज्ञप्ति

विषय :- जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदों पर जारी औपबन्धिक चयन सूची के संबंध में।

आयोग की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या-235 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर जनजाति कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक एल0टी0 हिन्दी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, गृहविज्ञान, कला, व्यायाम, (पद कोड-107) विषय की अभिलेख सत्यापन हेतु तृतीय औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

सूच्य है कि आयोग के द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा उनका माध्यमिक शिक्षा विभाग में स0अ0एल0टी0 की विज्ञप्ति के सापेक्ष विषय-विशेष में अभ्यर्थन निरस्तीकरण व अन्य कारणों से जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची में उनसे कम प्राप्तांक अभ्यर्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में आने के कारण आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गये हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अन्य समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम पर यदि कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो वे साक्ष्य सहित प्रत्येक दशा में इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर आयोग कार्यालय को दे दें, उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।


सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।